डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 मई 2001—वैशाख 11, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ/10-13/2001/वा. कर/पांच (7).—जहां तक राज्य शासन को समाधान हो गया है कि जनहित में यह आवश्यक है. अत: निम्न अधिकारों का उपयोग करते हुए :—

(1) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (1995 का क्रमांक 5) की धारा 17, तथा

(2) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (1956 का क्रमांक 74) की धारा 8 की उपधारा 5,

राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-77-98-विक-पांच (53), दिनांक 14-5-99 को 1-4-2001 से निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2001

क्रमांक एफ/10-13/2001/वा.कर/पांच (7).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-13/2001/वा.कर/पांच (7) दिनांक 31-3-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, अवर सचिव.

Raipur, the 31st March 2001

NOTIFICATION

No. F/10-13/2001/CT/V (7).—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary and to do so in the public interest, now, therefore in exercise of powers conferred by :—

(1) Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), and

(2) Sub section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956),

the State Government hereby rescinds this Department Notification No. A-3-77-98-ST-V(53), dated 14-5-99 from 1-4-2001.

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
AMRITA BECK, Under Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.